DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 6 सितंबर, 2022 ----------DATED----------

पर्यावरण विभाग को 15 तक सौंपें कार्ययोजना : राय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में सर्दी के मौसम में विभिन्न कारणों से बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को विंटर एक्शन प्लान के लिए दिल्ली सचिवालय में संबंधित 30 विभागों के साथ संयुक्त बैठक की।

गोपाल राय •

बैठक के बाद प्रेसवार्ता में गोपाल राय ने बताया कि सभी विभागों को निर्धारित 15 फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अनुसार ही विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। सभी विभागों को बुधवार तक अपनी-अपनी प्राथमिक रिपोर्ट / सुझाव पर्यावरण विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है। इसी के आधार पर 15 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को विंटर एक्शन प्लान के तहत विस्तृत कार्ययोजना सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

केंद्र सरकार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद। आमतौर पर देखा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने में आसपास के राज्यों की भी भूमिका होती है। ऐसे में केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा, ताकि प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए संयुक्त कार्य योजना बनाई जा सके और इस पर नियंत्रण पाया जा सके।

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इन फोकस बिंदुओं पर करना है काम

- पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को लेकर विकास एवं राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- धूल प्रदूषण के लिए पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, आइएंडएफसी, डीएसआइआइडीसी, जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- वाहनों से होने वाले प्रदूषण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीआइएमटीएस, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो और जीएडी को नियुक्त किया गया है।
- खुले में कूड़ा जलाने से रोकने के लिए एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, आइएंडएफसी, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- औद्योगिक प्रदूषण के लिए एमसीडी, राजस्व, डीएसआइआइडीसी और डीपीसीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- ग्रीन वार रूम एवं ग्रीन एप को और बेहतर बनाने के लिए डीपीसीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- हाट स्पाट पर निगरानी का काम करने के लिए एमसीडी, डीपीसीसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, डीडीए, डीएसआइआइडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- रियल टाइम अप्रोर्शमेंट स्टडी के लिए आइआइटी कानपुर के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, ताकि रियल टाइम प्रदूषण से संबंधित कारणों का पता चल सके। डीपीसीसी नोडल एजेंसी है।
- स्माग टावर के लिए डीपीसीसी को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसकी पहली रिपोर्ट विभाग द्वारा 15 सितंबर को जारी की जाएगी।
- भारत का पहला ई-वेस्ट ईको पार्क जीरो वेस्ट पालिसी पर बनाया जा रहा है। इसकी नोडल एजेंसी पर्यावरण विभाग, डीएसआइआइडीसी और एमसीडी होगी।
- हरित क्षेत्र को बढ़ाना/ पौधारोपण, यानी हरित क्षेत्र को बढ़ाने पर जोर देते हुए वन विभाग को इसका नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- अर्बन फार्मिंग के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी है।
- ईको क्लब एक्टीविटी/ जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल एजेंसी है।
- पटाखों पर रोक लगाने के लिए पर्यावरण विभाग और दिल्ली पुलिस को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है।

Hindustan Times

Winter pollution plan by Sept 15: Minister Rai

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi government has started preparing a winter action plan to tackle the severe air pollution that engulfs the Capital every year from November onwards. All agencies and government departments have been asked to submit suggestions to the environment department by September 7, Delhi environment minister Gopal Rai announced on Monday after a review meeting.

His department will then share a detailed action plan by September 15, Rai said.

The first report on the functioning of the smog tower installed at Connaught Place will also be released by the Delhi Pollution Control Committee (DPCC) on September 15, allowing the government to gauge its efficacy, he said.

The meeting on Monday was attended by officials from DPCC, the environment department, development department, Delhi Cantonment Board, Central Public Works Department, Delhi Development Authority, Delhi Police, Delhi Transport Corporation, revenue department, and transport department.

The issues that will be part of the action plan include stubble burning, dust pollution, vehicular pollution, open waste burning, and industrial pollution. "The nodal agency for each key focus area has been decided," Rai said. "This plan will play an important role in Delhi's environmental improvement and pollution control."

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2022

Rai assigns tasks under winter action plan

New Delhi: Environment minister Gopal Rai on Monday fixed accountability and allocated tasks to different departments as part of the proposed winter action plan to keep air pollution under check.

Delhi government had on August 25 unveiled a 15-point winter action plan, which involved actions like stubble management, dust control, curbing industrial and vehicular pollution, etc. Rai said each department concerned, assigned particular points in the action plan, will submit its individual plans to the environment department by September 7.

After a meeting on Monday with officials from 30-departments, Rai said the 15 focus points had been divided into particular assignments for the various departments. He said the nodal agency to deal with stubble burning will be the development and revenue department, while PWD, MCD, DCB, NDMC, DDA, CPWD, irrigation & flood control, DSIIDC, Delhi Jal Board, Delhi Metro and revenue department would tackle dust pollution. TNN

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

अमर उजाला
NAME OF NEWSPAPERS--- नई दिल्ली | मंगलवार, 6 सितंबर 2022 -DATED----

प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार बनाएगी कार्ययोजना : राय

15 बिंदुओं पर दी गई अलग-अलग जिम्मेदारी, बैठक में मंत्री ने दिए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सर्दियों में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार 15 बिंदुओं को लेकर विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रही है। सोमवार को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर दिल्ली सचिवालय में सभी संबंधित 30 विभागों के साथ संयुक्त बैठक की।

बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सभी विभागों को निर्धारित 15 बिंदुओं पर अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके अनुसार विंटर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। सभी विभागों को 7 सितंबर तक अपनी-अपनी प्राथमिक रिपोर्ट-सुझावों को पर्यावरण विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है, जिसके आधार पर 15 सितंबर तक पर्यावरण विभाग को विंटर एक्शन प्लान के तहत विस्तृत कार्य योजना सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्दियों में होने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

मंत्री ने कहा कि 15 बिंदुओं व उसकी नोडल एजेंसी में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को लेकर विकास एवं राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। धूल प्रदूषण के लिए पीडब्लूडी, एमसीडी, डीसीबी, एनडीएमसी, डीडीए, सीपीडब्लूडी, आईएंडएफसी, डीएसआईआईडीसी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली मेट्रो और राजस्व विभाग को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, ट्रांसपोर्ट विभाग, डीआईएमटीएस, डीटीसी, दिल्ली मेट्रो और जीएडी को नियुक्त किया गया है। खुले में कूड़ा जलाने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी, एनडीएमसी, डीसीबी, विकास विभाग, दिल्ली फायर सर्विस, डीडीए एवं राजस्व विभाग को नियुक्त किया गया है। औद्योगिक प्रदूषण के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर एमसीडी, राजस्व, डीएसआईआईडीसी और डीपीसीसी को नियुक्त किया गया है।

इन पर रहेगा फोकस

मंत्री ने कहा कि ग्रीन वार रूम एवं ग्रीन ऐप को और बेहतर बनाने के लिए डीपीसीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। हॉट स्पॉट पर निगरानी का काम करने के लिए एमसीडी, डीपीसीसी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस , डीडीए , डीएसआईआईडीसी को नोडल एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रियल टाइम अपोरशमेंट स्टडी, स्मॉग टावर, ई-वैस्ट ईको पार्क, हरित क्षेत्र को बढ़ाने व वृक्षारोपण, अर्बन फार्मिंग, ईको क्लब एक्टीविटी-जन भागीदारी को बढ़ाने, पटाखे पर रोक लगाने व केंद्र सरकार एवं पड़ोसी राज्यों के साथ संवाद करने लिए तैयारी की गई है।

खराब वायु प्रदूषण के आधार पर मुआवजा मांगने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राजधानी की खराब वायु प्रदूषण के आधार पर 15 लाख का मुआवजा मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मुआवजे की मांग करने वाले विधि छात्र शिवम पांडे से कहा कि आपने अपने निजी नुकसान को लेकर किसी अस्पताल या डॉक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। आपने सामान्य तौर कर कह दिया कि प्रदूषण के कारण उन्हें नुकसान हुआ है। अपने पक्ष में तथ्य पेश नहीं किया है। अदालत ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इसके साथ ही मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि एक अदालत गरिमामय जगह होती है। यह जगह ऐसी नहीं है कि आप याचिका अपने बायोडाटा या रिज़्यूम में बढ़ोतरी के लिए उसका उपयोग करें। ब्यूरो